निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 140/2016 **दिनांक : 03.03.2021**

अनवान

गेहरूलाल पिता हेमराज जी जाति जाट, उम्र वयस्क, पेशा काश्त निवासी कांस्याखुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

..... वादी

।। **बनाम** ।।

1. राज्य सरकार सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादी के खातेदारी की मौजा कांस्या खुर्द पटवार हल्का लेसवा, तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 16 आ.नं. 3 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा के नवीन सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार खाता संख्या ... कायम हुए है।
2. यह कि मौजा कांस्या खुर्द तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू प्रबंध अधिकारीयों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यिान वादी के खाता संख्या 16 आ.नं. 3 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खाता संख्या .....में मौके पर खसरा नम्बर 3 मीन में कब्जा नहीं पटवार तरमीन नही होने से खाता नहीं बनाया " इस बात का इण्ड्रोसमेंट लगाते हुए भुमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर वादी वक्त आवंटन से ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। वर्तमान में भी उसी अनुसार काबिज हो काश्त कर रहा है जिससे वादी की आर से वाद पत्र घोषणात्मक डिक्री पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

3. यह कि वादी के विवादित आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा दौराने भू प्रबंध वादी की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादी के खातेदारी मे दर्ज आराजयीत को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि वादी आज भी मौके पर भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिससे वादी उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी होने से वाद पत्र वादी इन्द्राज दुरूस्ती पेश है।

4. यह कि दौराने सेटलमेंट विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू प्रबंध अधिकारियों ने बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे ना ही जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करे एव ना ही किसी अन्य को उक्त भूमि आंवटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं किसी अनरू को आवंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

6. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 15.07.2016 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादी क नाम पुराने रेकार्ड में आ0न0 3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसके मिलान क्षेत्रफल में आराजी नम्बर 3 मी के नये आराजी नम्बर 459 बनाये गये है किन्तु रिपोर्ट पटवारी अनुसर मौके पर वादी का कब्जा 459 पर नहीं है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है वर्तमान में प्रार्थी का आराजी नम्बर 438 किस्म चरनोट पर कब्जा है । तथा आराजी नम्बर 459 में खातेदारी चाहते है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा कास्याखुर्द खाता संख्या 67 संवत् 2066 प्रदर्श–1
2. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श--2
3. नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया बहस पर बहस पर मनन किया गया । प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी मौजा कास्याखुर्द खाता संख्या 67 संवत् 2066 अनुसार आराजी नम्बर 67 की आराजी नम्बर 3 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी गेहरू पिता हेमराज जाट के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिनका मौके पर कब्जा नहीं होने तथा काश्त नहीं करने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रविष्ठि का विलोपन किया गया है जो उचित प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने आवश्यकता नहीं है । आ0न0 3 के भू प्रबन्ध से नवीन आराजी नम्बर 459 कायम हुए है जिस पर भी वादी का कब्जा काश्त नहीं है अन्य चारागाह आराजी नम्बर 438 पर कब्जा है तथा इस वाद के माध्यम से चारागाह भूमि की खातेदारी चाहते है जो धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है । वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहें है । अतः वाद वादी सारहीन पाये जाने से खारीज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner